बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 187102   पटना, दिनांक 03-06-2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(अ0यो0)-102-53/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- **वर्ष 2014-15 में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन एवं सामाजिक अंकेक्षण कराने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निधि का ससमय उपयोग नहीं होने के कारण भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को द्वितीय किस्त की निधि विमुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्रेषण में प्राय: विलंब होता है । निधि की विमुक्ति अंतिम माह में होने के कारण राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो पाता है और अधिक राशि अवशेष रहने के कारणों से जिला को निधि में कटौती हो जाती है, फलस्वरूप लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना बाधित होती है । इसके अतिरिक्त राशि के अभाव में जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि दी जा चुकी है उन्हें द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करने में कठिनाई होती है और आवास विहिन लाभुकों का आवास निर्माणाधीन ही रह जाता है और उनके समक्ष आवास की समस्या ज्यों-कि-त्यों बनी रह जाती है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए अब इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुँचाकर आवास की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर लाभुकों के चयन एवं अन्य औपचारिकता को पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है और राज्य के सभी लाभुकों को सभी प्रखण्डों में शिविर आयोजित कर सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ पासबुक हस्तगत कराने की व्यवस्था की गई ।

इन्दिरा आवास योजना के कार्यावयन हेतु समर्पित प्रशासनिक व्यवस्था हेतु पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवम प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षको, लेखा सहायको तथा कार्यपालक सहायक की नियुक्ति प्राय:सभी जिलों मे सम्पन्न की जा चुकी है तथा इनके प्रशिक्षण कार्य को भी पूर्ण कर लिया है । अब यह नितांत आवश्यक है कि इन कर्मियो को योजना के कार्यावयन हेतु परिभाषित दायित्वो पर लगाया जाय तथा योजना में पूरी पार्दर्शिता के साथ शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

1. **<u>पूर्व में आवंटित आवासों का सामाजिक अंकेक्षण</u>:-**

वर्ष 2013-14 तथा इसके पूर्व के वर्षो मे आवंटित आवासो की सूची ग्रामीण आवास सहायकों को क्षेत्रीय सत्यापन हेतु दी जाय । ग्रामीण आवास सहायक इस सूची को लेकर आवासों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा निम्न प्रपत्र में सूचना अंकित करेंगे। भौतिक सत्यापन के क्रम मे आवासों की फोटोग्राफी भी की जायेगी । तदनुसार तैयार सूची को सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा मे रखा जाय :-

<u>सामाजिक अंकेक्षण कराने का प्रपत्र -1</u>

क्र. सं.	प्रतीक्षा सूची	परिवार के मुखिया का	पिता / पति का	BPL No.	BPL स्कोर	ग्राम का	इंदिरा आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी है तो उसकी विवरणी

	का क्र.सं.	नाम	नाम			नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत इकाई लागत	अद्यतन विमुक्त की गयी राशि	अद्यतन भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

यदि आवास स्वीकृत नहीं की गयी है तो स्वीकृत नहीं करने का कारण					ग्राम सभा का अभिमत
परिवार भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थे	परिवार के पास वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं थे	पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ मिला है	पूर्व से पक्का मकान है	परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में है	
12	13	14	15	16	17

1.1 - इस प्रपत्र में प्रतीक्षा सूची में अंकित हर परिवार का विवरण अनिवार्यत: क्रमवार अंकित होगा । जिन परिवारों को घर स्वीकृत हुआ है, उन्हे दी गयी वित्तीय सहायता एवं भौतिक स्थिति दर्ज होगी । जिन परिवारों को आवास नहीं मिला है, उनके मामले में आवास स्वीकृत नहीं होने का कारण दर्शाया जायेगा ।

1.2 - इस सूचना को ग्राम सभा में एक-एक कर पढ़कर सुनाया जायेगा एवं प्रत्येक मामले में ग्राम सभा का अभिमत दर्ज किया जायेगा तथा ग्राम सभा के अभिमत पर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

1.3 - इस अभिमत के आधार पर यदि ऐसा महसूस किया जाए कि किसी परिवार को आगे इंदिरा आवास की सहायता देने की आवश्यकता है तो उसे वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध विचार किया जाय ।

1.4 - ग्राम सभा के बाद उपरोक्त सूची में निम्न प्रमाण पत्र अंकित किया जाय :-

- **प्रमाणित किया जाता है कि सूची में वर्णित सभी परिवारों के संबंध में सूचना ग्रामसभा में पढ़कर जानकारी दी गयी है और ग्रामसभा का अभिमत उक्तवत दर्शाया गया है । अंकित की गयी सभी सूचनाएँ सही है ।**

1.5- इस प्रमाण पत्र पर ग्रामीण आवास सहायक, उपस्थित वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि तथा जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हर पृष्ठ पर लिया जाय ।

1.6 - ग्राम सभा के सामाजिक अंकेक्षण के फलस्वरूप यदि ऐसा कोई परिवार पाया जाय जिन्हें स्कोर के आधार पर वर्ष 2012-13 तक ही घर निर्माण की मंजूरी कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से चयन नहीं हुआ है तो उसे प्रतीक्षा सूची के प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम विचार किया जाय बशर्ते -

(i) परिवार को पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है,

(ii) परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है,

(iii) परिवार को पूर्व से पक्का मकान नहीं है ।

1.7 - सामाजिक अंकेक्षण का कार्य दिनांक 30 जून तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय ।

2. लाभुको की सूची (जिन्हे पुर्व मे आवास आवंटित किये गये थे) को कम्प्युटरिज्ड कराना :-

2.1 - पूर्व के वर्षों में जिन लाभुको को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है उसकी सूची की आवश्यकता सदैव महसूस की जा रही है । इस सर्वेक्षण के पश्चात इन्दिरा आवास योजना के लाभुकों की सूची प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध हो जायेगी जिससे पूर्व के वर्षों में लाभ

प्राप्त लाभुकों की सूची का Digitisation भी सम्भव हो जायेगा । अतः जैसे-जैसे यह सूची तैयार होती जाय वैसे-वैसे ग्रामवार-पंचायत वार लाभुकों का विवरण कार्यपालक सहायकों के माध्यम से कम्प्युटर मे प्रविष्टि कराई जाय ।

2.2 - सम्भव है कि कई स्थानों पर 2013-14 से 1996 तक की सूची उपलब्ध नही हो। सम्पूर्ण सूची के अभाव में इस कार्य को रोका नही जाय अपितु जिस वर्ष तक की सूची उपलब्ध हो उस वर्ष तक की प्रविष्टि कम्प्युटर में करा ली जाय । हाल के वर्षो की प्रविष्टि सबसे पहले कराई जाय अर्थात सबसे पहले वर्ष 2013-14 फिर 2012-13 उसके बाद 2011- 12 फिर इसी क्रम में सूची तैयार की जाय ।

2.3 - कम्प्युटर में प्रविष्टि का कार्य 31 अगस्त तक पुर्ण किया जाय ।

इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान मे प्रचलित प्रतिक्षा सूची को त्रुटिरहित बनाया जाय । इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आवासों के आवंटन से पूर्व पूरा किया जाना है जिसका दायित्व ग्रामीण आवास सहायकों को दिया जाय ।

<u>3 वित्तीय वर्ष 2014-15 के चयन सूची की तैयारी</u> :-

ग्रामीण आवास सहायक, पूर्व के वर्षो में आवंटित इन्दिरा आवासों की सूची तथा बी0 पी0 एल0 सूची को साथ में रखकर पंचायतो का भ्रमण करेंगे तथा घर-घर जाकर आवासों का सत्यापन करेंगे । भ्रमण के दौरान उन्हें निम्न जानकारिया इकट्ठा करनी है -

3.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 लाभ प्राप्त लाभुक के बाद के क्रम मे आने वाले सम्भावित परिवार जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभ दिया जाने की सम्भावना है, उनके आवास की भौतिक स्थिति कैसी है तथा ये परिवार सुयोग्य श्रेणी के अंतर्गत आते है या नही इस बात का सत्यापन कराना अनिवार्य है । इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय -

3.2 वित्तीय वर्ष 2013-14 मे जिस क्रमांक तक के परिवारों को आच्छादित कर दिया गया है उससे आगे के परिवारों के चयन हेतु बी0 पी0 एल0 सूची लेकर ग्रामीण आवास सहायक अपने आवटित पंचायत में घर घर जायेंगे तथा निम्न सूचनाओं का संग्रहण करेंगे -

क) परिवार के वर्तमान आवास का प्रकार ।

ख) परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नही ।

ग) पूर्व में इन्दिरा आवास का लाभ मिला है या नही । (इस सूचना का सत्यापन कार्यालय के अभिलेख से भी किया जाय)

घ) घर बनाने के लिए निजी भूमी है या नही ।

3.3 ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान संग्रहित सूचना को निम्न प्रपत्र में भरकर ग्राम सभा मे रखा जायेगा :-

प्रतीक्षा सूची क्र.सं.	**परिवार के मुखिया का नाम**	**पिता / पति का नाम**	**BPL संख्या**	**BPL स्कोर**	**ग्राम का नाम**	**ग्रामीण आवास सहायक की अभ्युक्ति**	**ग्राम पंचायत का अभिमत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

ग्राम सभा प्रत्येक परिवार के आगे अपना अभिमत अंकित करेगी ।

इस सूची के अंत में निम्न आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाय :-

- **प्रमाणित किया जाता है कि इस सूची में दर्ज सभी सूचनाएं सही हैं और वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध इन परिवारों को इंदिरा आवास के अंतर्गत घर बनाने की अनुशंसा की जाती है ।**

....	....	....	....	....
ग्रामीण आवास सहायक का हस्ताक्षर	**पंचायत के मुखिया का हस्ताक्षर**	**पंचायत सेवक का हस्ताक्षर**	**प्र.वि.प. या प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**	**जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**

3.4 तदनुसार वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य वर्ग के लिए अलग-अलग चयन सूची तैयार की जायेगी। यह सूची अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए प्रतीक्षा सूची में बचे हुए सभी परिवारों के लिए तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य अनुसार तैयार करायी जाय ।

3.5 प्रखंड विकास पदाधिकारी विधिवत तैयार की गयी उक्त सूची से लक्ष्य के अनुसार कोटिवार लाभार्थी का चयन कर सूची तैयार करेंगे । सूची बनाने का यह कार्य 30.06.2014 तक अनिवार्यत: पूर्ण कर लिया जाय एवं सूची को आवास सॉफ्ट पर दर्ज किया जाय ।

इस पूरे कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी तथा इसमें की गई कोताही को गम्भीरता से लिया जायेगा । प्रखण्डों के प्रभारी वरीय उप समाहर्ता साप्ताहिक समीक्षा कर इस व्यवस्था का अनुपालन करायेंगे ।

विश्वासभाजन

2.6.14

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक ____________ पटना, दिनांक ____________

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2.6.14

सरकार के प्रधान सचिव